न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2020(रसद) (GCMS 2020/00043)	11.02.2022	20.09.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. दल्लीचन्द पाटीदार, नंगावली पालखेडी बस स्टेण्ड के सामने तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. सोहन लाल कुमावत पुत्र परसराम कुमावत हाल निवासी नाकोडा नगर भींडर (उदयपुर) मोबाईल 8696422217
3. सुनील कुमार पुत्र खरपतु पाल गडरिया कपासिन, मिरगंज जिला जौनपुर (उत्तर–प्रदेश)

विपक्षीगण

उपस्थिति :–	प्रवर्तन अधिकारी	पैरोकार सरकार
	एक तरफा	विपक्षी संख्या 1
	केएस गाडन	विपक्षी संख्या 2, 3
	ललित लढा	अधिवक्ता प्रार्थी प्र0सं0 070/2021 (रे.वि.)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जैसा रासायनिक पदार्थ, युक्त 65 प्लास्टिक ड्रम एवं 14 प्लास्टिक के जरिकेन, टेंकर GJ 06 AX 1561 को राजसात करने बाबत्</u>

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.01.2020 को शिवलाल मीणा सर्कल निरीक्षक चित्तौड़गढ़ से जिला रसद अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई की होटल नटराज रातीमगरी के पास अवैध रूप से अज्ञात रासायनिक पदार्थ की चोरी की जा रही है। पुलिस थाना मंगलवाड़ के सहायक उप–निरीक्षक देवीलाल द्वारा जांच करने पर होटल नटराज से एक प्लास्टिक ड्रम एवं 2 प्लास्टिक के जरीकेन जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसा रासायनिक पदार्थ भरा हुआ था, की पुछताछ पर सोहनलाल कुमावत पुत्र परसराम कुमावत हाल निवासी भीण्डर द्वारा बताया गया कि उक्त रासायनिक पदार्थ युक्त सामग्री उसी की है संबंधित सामग्री के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रय–विक्रय के आवश्यक दस्तावेज/अनुज्ञप्ति न होने पर उक्त सामग्री को मौके पर पुलिस थाना मंगलवाड द्वारा डिटेन किया गया। साथ ही होटल नटराज पर खडे हुए विस्फोटक रासायनिक पदार्थ युक्त सील्ड टेंकर **GJ06 AX1561** के चालक सुनिल कुमार पुत्र खरपतु पाल गडरिया के पास भी आवश्यक दस्तावेज न होने से विस्फोटक रासायनिक पदार्थ युक्त सील्ड टेंकर **GJ06AX1561** को डिटेन किया गया। पुलिस थाना मंगलवाड ने सोहनलाल से पुछताछ की तो बताया कि दल्लीचंद पाटीदार के बाडे में जो नंगावली, पालखेडी बस स्टेण्ड के सामने स्थित है, में अज्ञात रासायनिक पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री की जाती है। इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज न होने से उसे हिरासत में लिया गया एवं उक्त स्थान पर रखे हुए 64 प्लास्टिक के ड्रम एवं 12 प्लास्टिक के जरिकेन जिसमें पेट्रोलियम जैसा अज्ञात रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, को डिटेन किया गया। उक्त सूचना के आधार पर कार्यवाही हेतु आवेदक पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक, उपखण्ड डूंगला बीजल सुराणा, जिला रसद अधिकारी के साथ दल्लीचंद पाटीदार के बाडे में पहुॅचे। पुलिस थाना मंगलवाड से पुछताछ कर डिटेन किए हुए होटल नटराज स्थित 1 प्लास्टिक ड्रम एवं 2 प्लास्टिक जरीकेनो, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसा रासायनिक पदार्थ भरा हुआ था, को कब्जे में लिया गया। साथ ही विस्फोटक रासायनिक पदार्थ से भरे हुए सील्ड टेंकर **GJ06 AX1561** को भी कब्जे में लिया गया। साथ ही सोहनलाल कुमावत द्वारा ही भण्डारित किए जा रहे पेट्रोलियम पदार्थ जैसे रासायनिक पदार्थमय 64 प्लास्टिक के ड्रम, 12 प्लास्टिक जरीकेनों को कब्जे में लिया गया। मौके पर सभी प्लास्टिक के ड्रमों का गेज से मापन कर समांग मात्रा के सेम्पल लिए गए एवं प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त सभी रासायनिक पदार्थो के 8 सेम्पल लिए गए जिन्हें **E1,E2,E3, S1,S2,S3, M1,M2,M3, P1,P2,P3, R1,R2,R3, HF1,HF2,HF3, 1,2,3** एवं **G1,G2,G3** लेबल दिया गया। **E3, S3, M3, P3, R3, HF3, 3** एवं **G3** नमूने को जाँच हेतु पुलिस थाना मंगलवाड की सुपुर्दगी में दिया गया। दल्लीचंद पाटीदार, सोहन लाल कुमावत पुत्र परसराम कुमावत हाल निवासी भीण्डर जिला उदयपुर एवं सुनील कुमार पुत्र खरपतु का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा 13220 लीटर पेट्रोलियम जैसे रासायनिक पर्दाथ इसमें से 245 लीटर परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया, बकाया 12975 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे रासायनिक पदार्थ एवं टेंकर नम्बर **GJ06AX1561** को राजसात करने का श्रम करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 08.09.2020 को विपक्षी संख्या 2, 3 की और से उनके अधिवक्ता केएस गाडन हाजिर आये एवं अधिकार पत्र मय जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक 02.02.2021 को विपक्षी संख्या 1 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाब में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि टैंकर का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं होकर वह होटल पर खाना खाने के लिए रुका था तथा पुलिस द्वारा उसे जबरदस्ती साथ लेकर गये थे। अन्य माल से विपक्षी संख्या 2 का कोई संबंध नहीं है, एवं विपक्षी संख्या 3 ने अपने जवाब में आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवगत कराया गया कि उक्त टैंकर का उक्त प्रकरण व उक्त माल से कोई संबंध सरोकार नहीं होकर उक्त टैंकर को गलत तरीके से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

प्रकरण में कार्यवाही के दौरान बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड की और से अधिवक्ता ललित लढा ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 070/2021(रि.वि.) है। उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुलिस थाना मंगलवाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 006/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के बाबत् पेश किया गया। हस्तगत आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 006/2020 दिनांक 06.01.2020 बाबत् ही प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 प्रस्तुत होने से उक्त दोनों प्रकरणों को सुनवाई हेतु एक साथ रखा गया।

प्रार्थी बाबरमल पिता परथा डांगी निवासी नारायणपुरा ने अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी शिव एन्टरप्राईजेज फर्म का प्रोपराईटर होकर उसके पास केमिकल रखने व विक्रय करने का लाईसेंस होकर चित्तौड़गढ़ जिले में नारायणपुरा गांव छापरी थाना मंगलवाड में उसकी फर्म व गोदाम स्थित होकर उसके द्वारा पास में ही खुले स्थान पर बाडा ले रखा है जहॉ वह केमिकल के खाली ड्रम आदि रखने का कार्य करता है। प्रार्थी के लाईसेंसी गोदाम व उसके बाडे में पडे खाली केमिकल के ड्रम व एमईजी व मिक्स सोलवेंट के 64 ड्रम/12 जरीकेन पुलिस द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में बिना किसी आधार के जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा जब पुलिस थाना मंगलवाड में जाकर अपना बिल व लाईसेंस दिखाया तथा उक्त माल उसके स्वामित्व आधिपत्य का बताया तो पुलिस द्वार यह कह कर की आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं आता होगा तो जांच करा कर आपको लौटा देंगें। पर कुछ समय बाद पता चला की निकुम्भ थाने में पत्रावली चली गई है। वहां जाकर भी प्रार्थी ने उक्त दस्तावेज दिखाये तथा कहा की उक्त पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं आता है तथा प्रार्थी के पास उक्त माल का बिल है तथा उसके पास वैघ लाईसेंस है पर पुलिस द्वारा कहा गया कि उक्त माल हम नहीं दे सकते कॉर्ट से छुडाना पडेगा तब प्रार्थी के द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी उक्त माल का मलिक होकर लाईसेंसी है जिसे उक्त माल अपने कब्जे में रखने का पूरा हक व अधिकार है तथा पुलिस द्वारा मिथ्या आधारों पर उक्त कार्यवाही कर उक्त माल को जब्त किया गया है। जिसे प्रार्थी अपनी सिपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस थानाधिकारी से टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर पुलिस थानाधिकारी निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/497 दिनांक 20.04.2021 से अवगत कराया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। रिपोर्ट पुलिस थानाधिकारी निकुम्भ शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 12.10.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी की ओर से **FSL** की छाया प्रति प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली हैं। न्यायालय हाजा के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं./07022021(रे.वि.)/25.05.2022/404 दिनांक 18.05.2022 से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर से एफ.एस. एल. रिपोर्ट नंबर **RFSL(UDA)4135/CAE/60/20 Date 21-04-2022** जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में विहित प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है अथवा नहीं? बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 21.06.2022 को जिला रसद अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि नूमनों में हाईड्रोकार्बन **(m.s/hsd/sko)** के होना नहीं पाया गया। पदार्थ **bengalkanium cheuside** का अंश है जो सफाई एवं रंग के लिए नेम होता है। परन्तु **marked2, e2, g2, s2, & Hf2** पदार्थ ज्वलनशील प्रकृति के है, उक्त पदार्थ **EC Act 1955** की धारा **3/7** के अन्तर्गत नहीं आते है। हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान जप्तशुदा 64ड्रम/12 जरिकेन मय रासायनिक पर्दाथ 12975 लीटर बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड को सिपुर्द किये जाने बाबत् एतराज नहीं होना जाहिर किया गया। जिला रसद अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 20.09.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली हेतु निवेदन किया गया। इस पर दोनों प्रकरणों को सुनवाई हेतु एक साथ रखा जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। हमने पत्रावलियों का गहनता पूर्वक आद्योपांत अवलोकन/परिशीलन/परीक्षण किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना की गई कि दिनांक 06.01.2020 को प्रकरण में जप्तशुदा 64ड्रम/12 जरिकेन मय रासायनिक पर्दाथ 12975 लीटर बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड को सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिलो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया। ई–वे बिलों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को पूर्णतया से साबित कराये जाने में असफल रहे है कि पुलिस थानाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मंगलवाड द्वारा दिनांक 06.01.2020 को जप्तशुदा उक्त 64 ड्रम/12 जरीकेन में जो पदार्थ है वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता हैं जबकि विपक्षी द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि प्रकरण में दिनांक 06.01.2020 को जप्तशुदा 64 ड्रम/12 जरीकेनों के किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नही होना पाया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी को हो ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्तशुदा 64ड्रम/12 जरिकेन मय रासायनिक पर्दाथ 12975 लीटर बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर संख्या **GJ 06 AX 1561** मय उसमें भरे फॉस्फोरिक एडिस के न्यायालय हाजा के दीगर प्रकरण संख्या 054/2020(रे.वि.) अनवानी प्रशान्त बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत निर्णय दिनांक 27.10.2020 से प्रार्थी प्रशान्त पिता कान्ती भाई पटेल निवासी 312 जीआईडीसी रनोली जिला बडौदा (गुजरात) को रूपये 30,00,000/– अक्षरे तीस लाख रूपये के जमानतनाम एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जा चुका है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना मंगलवाड द्वारा दिनांक 06.01.2020 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 006/2020 में जप्तशुदा 64ड्रम/12 जरिकेन मय रासायनिक पर्दाथ 12975 लीटर बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड को सिपुर्द किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की मूल प्रति पत्रावली संख्या 001/2020 (अपील रसद) उनवानी सरकार बनाम दल्लीचंद वगैराह में रखी जावें एवं प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 070/2021 (रे.वि.) उनवानी बाबरमल बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>20.09.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़